न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 4 / 2005

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 मूलचन्द पुत्र स्व. श्री मक्खनदास।
2 बुद्धराम पुत्र स्व. श्री मक्खनदास।
3 सुरेश पुत्र स्व. श्री मक्खनदास समस्त जाति स्वामी निवासी लालपुर तहसील व जिला झुंझुनूं।

अपीलांट

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

1 सुशीला पुत्री स्व. श्री बेगराज पत्नी श्री गंगाधर निवासी चारण का बास तहसी व जिला सीकर।

2 श्रवण कुमार पुत्र स्व. श्री बनवारीलाल।

3 रामवतार पुत्र स्व. श्री बनवारीलाल।

4 नवलकिशोर पुत्र स्व. श्री बनवारीलाल।

5 पुरूषोतम लाल पुत्र स्व. श्री बनवारीलाल।

6 विष्णुदत्त पुत्र स्व. श्री बनवारीलाल समस्त जाति स्वामी निवासीगण लालपुर तहसील व जिला झुंझुनूं।

7 श्रीमान तहसीलदार झुंझुनू लैण्ड होल्डर तहसील व जिला झुंझुनूं।

रेस्पोंडेन्ट

Case Design

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2005
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं बमुकदमा
सुशीला बनाम मूलचन्द वगैरह मु.नं. 109/2003

उपस्थित

1. श्री भगवान सिंह शेखावत अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जहीर मोहम्मद फारूकी अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—27.08.18

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा दावा संख्या 109/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2005 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय में दावा बाबत बंटवारा जमीन व धोषणा स्थाई निषेधाज्ञा का ग्राम लालपुर की भूमि खसरा नम्बर 272,274,280,275, 278/1 ,294/2/1 के सन्दर्भ में पेश किया है वादीनी ने विवादित भूमियां वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज टीकु दास की होना बताकर स्वंय का पैतृक हक अधिकार होना जाहिर किया एवं खातेदारी, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र के तथ्यों से इन्कार किया एवं वाद वादिनी खारिज किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने वाद में तनकियात कायम कर साक्ष्य लेकर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय व डिक्री से वाद वादी डिक्री किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

Case Design

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि स्व. टीकु दास की खातेदारी में नही रही है। बल्कि टीकु दास के देहान्त के बाद मक्खन दास व बनवारी दास द्वारा स्वअर्जित भूमियां है वादी की पैतृक सम्पती नही है। विवादित भूमि के सम्बध में विचारण न्यायालय मे पूर्व में दावा संख्या 21/85 निर्णय दिनांक 08.11. 1985 को डिक्री हुआ है। इसे निरस्त करवाये बिना नया दावा पोषणीय नही है वादीया का विवादित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है विवादित भूमि के सन्दर्भ में एक अन्य वाद श्रवण बनाम सुरेश भी विचारण न्यायालय में लम्बित है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। तनकिवाद निर्णय पारित नही किया गया है अतः अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जायें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय ने वाद एंव जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम कर उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त की है एवं वादीनी को टिकु दास की पौत्री मानते हुये विवादित भूमि में वादीया का हक हिस्सा होना तय किया है जो पूर्णतया विधि सम्मत है। अपील अपीलांट खारिज की जायें।

हकने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया विचारण न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 सीपीसी. की अनुपालना में तनकीवार विवेचन कर निर्णय पारित नही किया है प्रकरण में इस तथ्य पर भी कोई विवेचन नही किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में मुकदमा नम्बर 21/85 निर्णय दिनांक 08.11.1985, समझौता दिनांक 31.08.1998 प्रदर्श ए–10 एवं विचारण न्यायालय में लम्बित दावा श्रवण बनाम सुरेश का प्रस्तुत प्रकरण पर क्या विधिक असर होगा केवल मात्र 3 लाईन में सरसरी तौर पर वादीया को पैतृक भूमि का अधिकारी मानते हुये डिक्री पारित की गई है। जो स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नही आता है।

Case Design

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17.02.2005 विधि सम्मत प्रतीत नही होता है फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विधाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को प्रकरण से सम्बंधित सभी तथ्यों पर पुन सुनकर विधिअनुसार तनकीवार निर्णय पारित करें उभयपक्ष दिनांक 24-9-18 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित देवें।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/8/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर